झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में

डब्ल्यू0पी0 (सी0) सं0–877 वर्ष 2017

1. अब्दुल रहमान, पे0 बसीरूद्दीन अली
2. सजदा खातून, पत्नी–स्वर्गीय शमसुद्दीन
3. जियाउल अंसारी, पे0 स्वर्गीय जैनुल अंसारी
4. राहुल, पे0 स्वर्गीय जैनुल अंसारी
5. मो0 रहीम, पे0 मो0 नाजु
6. मो0 ताजुद्दीन, पे0 सरोज अली
7. मोइनुद्दीन, पे0 स्वर्गीय सेराज अली
8. मो0 कुतुबद्दीन, पे0 स्वर्गीय सेराज अली

सभी निवासी ग्राम–कादरगामा, टोला जोन्हारगोडा, डाकघर–कुकरू, थाना–चांडिल, जिला–सेरायकेला–खरसावां .... याचिकाकर्तागण

बनाम्

1. झारखण्ड राज्य।
2. उपायुक्त, सरायकेला–खरसावां।
3. जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सरायकेला–खरसावां
4. निदेशक, पुनर्वास भूमि अधिग्रहण, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, विकास भवन, आदित्यपुर, सरायकेला–खरसावां।
5. प्रशासक, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, विकास भवन, आदित्यपुर, सरायकेला–खरसावां।
6. मुख्य अभियंता, स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, चांडिल परिसर, चांडिल, सरायकेला–खरसावां।

7. करीम मोमिम, पे0 नाजु मोमिम।

8. सुकरू मोमिम, पे0 नाथु मोमिम।

9. जरिमन बीबी, पत्नी–अजित मोमिम।

प्रतिवादी सं0 7 से 9 निवासी ग्राम–कादरगामा, टोला जोन्हारगोडा, डाकघर–कुकरू, थाना–चांडिल, सेरायकेला–खरसावां।

.... उत्तरदातागण

कोरम : **माननीय न्यायमूर्ति श्री आनंदा सेन**

याचिकाकर्ताओं के लिए :– श्री सरधू महतो, अधिवक्ता

प्रतिवादी(ओं) के लिएः– एस0सी0 (एल एंड सी) के जे0सी0।

04 / 31.07.2018 इस वाद में गलत जवाबी हलफनामा दायर किया गया है।

कार्यालय को काउंटर एफिडेविट को अलग करने और उसे सही वाद के साथ संलग्न करने का निर्देश दिया जाता है।

याचियों के वकील प्रस्तुत करते हैं कि यह पर्याप्त होगा कि यदि याचियों को प्रत्यर्थी सं0 3 के समक्ष अपनी शिकायतों को व्यक्त करने के लिए अभ्यावेदन दाखिल करने की अनुमति दी जाती है और प्रत्यर्थी सं0 3 को उनके अभ्यावेदन पर एक उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाए।

याचियों के वकील प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता भूमि के अभिलिखित रायतों के वंशज हैं, जिसे स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना, चांडिल के उद्देश्य से अधिग्रहित किया

गया था और वर्ष 2004–05 में उनकी भूमि के अधिग्रहण के बाद, उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि यह रिट याचिका केवल याचियों के पक्ष में मुआवजे की राशि के वितरण के उद्देश्य से दायर की गई है।

इस मामले में कोई जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया गया है, हालांकि यह याचिका 10 फरवरी, 2017 को दायर की गई है। आदेश की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जो इस मामले में पारित किया गया है, मैं विपक्ष–राज्य से एक हलफनामा मांगकर इस मामले में देरी नहीं करना चाहता हूँ।

चूंकि याचियों का यह दावा है कि उनकी पैतृक भूमि के अधिग्रहण के बदल में मुआवजे की राशि उनके पक्ष में वितरित नहीं की गई है, इसलिए मैं याचियों को निर्देश देता हूँ कि वे प्रत्यर्थी सं0 3 अर्थात् जिला भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सरायकेला–खरसावां के समक्ष सभी दस्तावेजों के साथ अभ्यावेदन दाखिल करें और इस तरह का अभ्यावेदन प्राप्त होने के बाद, प्रत्यर्थी अधिकारी मामले पर गौर करेंगे और सही मालिकों को उनकी अधिग्रहित भूमि के संबंध में मुआवजे की राशि का भुगतान करेंगे, यदि भुगतान नहीं किया गया है। याचिकाकर्ताओं के इस तरह के अभ्यावेदन(ओं) की प्राप्ति की तारीख से आठ (08) हफ्तों के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।

उपरोक्त अवलोकन और निर्देश के साथ, इस रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है।

(आनंदा सेन, न्याया0)